

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

21 दिसम्बर, 2021 (ई0)

मंगलवार, तिथि-

[सप्तम् (शीतकालीन) सत्र]

30 अक्टूबर, 1943 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री मनीष जायसवाल एवं श्री जयप्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021 एवं 20.12.2021 से स्थगित)
- (05)- श्री संजीव सरदार स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021 एवं 20.12.2021 से स्थगित)
- (06)- श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पंचायती राज विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021 एवं 20.12.2021 से स्थगित)
- (07)- श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021 एवं 20.12.2021 से स्थगित)
- (08)- श्री विरंची नारायण, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 से स्थगित)

क्रमशः

- (09)- डा0 सरफराज अहमद,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 से स्थगित)
- (10)- सुश्री अम्बा प्रसाद,श्री रामदास सोरेन एवं राजेश कच्छप,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 से स्थगित)
- (11)- श्री मथुरा प्रसाद महतो ,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 से स्थगित)
- (12)- श्री अनन्त कुमार ओझा एवं मनीष जायसवाल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 से स्थगित)
- (13)- श्री राज सिन्हा,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) का वक्तव्य।
- (14)-श्री निरल पुरती एवं श्री सुखराम उरौंव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उर्जा विभाग) का वक्तव्य।
- (15)-श्री उमाशंकर अकेला,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) का वक्तव्य।
- (16)- श्री वैद्यनाथ राम,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) का वक्तव्य।
- (17)- सर्वश्री अमर कुमार बाउरी,भानु प्रताप शाही एवं श्री नवीन जायसवाल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) का वक्तव्य।

**-: समितियों का गठन :-**

- (18)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

**-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

- (19)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।  
(20)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

क्रमशः

**-: विधायी कार्य :-**

(21)-प्रभारी मंत्री,(नगर विकास एवं आवास विभाग) प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-110 के आलोक में विधान सभा से दिनांक-06,फरवरी 2019 को पारित " झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2019"सभा द्वारा वापस लिया जाय"।

**झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंगिंग निवारण) विधेयक,2021**

- (22)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंगिंग निवारण) विधेयक,2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।
- (23)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (24)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंगिंग निवारण) विधेयक, 2021 पर विचार हो"।
- (25)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंगिंग निवारण) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो"।
- (26)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

**सैयद जावेद हैदर**

**प्रभारी सचिव,**

**झारखण्ड विधान सभा,राँची।**

भाप संख्या:-कार्य0का0सू0-08/2021-<sup>4557</sup>...../वि0स0,राँची,दिनांक-<sup>29</sup>./<sup>12</sup>./<sup>2021</sup>।...

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्डविधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



**(हरेन्द्र कुमार साह)**

**उप सचिव,**

**झारखण्ड विधान सभा,राँची।**



ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२१-<sup>२५५२</sup>...../वि०स०,रौंघी,दिनांक- 20.12.2021  
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवालय  
कार्यालय को कर्मशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ  
प्रेषित।

उत्तर  
20/12/2021

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२१-<sup>२५५३</sup>...../वि०स०,रौंघी,दिनांक- 20.12.2021  
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण,वेबसाईट शाखा/  
पुस्तकालय शाखा,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर  
20/12/2021

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

शंकर/-

उत्तर  
20/12/21